एयर क्वालिटी इंडेक्स

पीएम2.5

दिल्ली		
आज का अनुमान	70	सामान्य
सोमवार	63	सामान्य
पीतमपुरा		
आज का अनुमान	149	बहुत खराब
सोमवार	125	बहुत खराब
दिल्ली विश्वविद्यालय		
आज का अनुमान	176	खतरनाक
सोमवार	150	बहुत खराब
लोधी रोड		
आज का अनुमान	97	खराब
सोमवार	88	सामान्य
पूसा		
आज का अनुमान	101	खराब
सोमवार	92	खराब
मथुरा रोड		
आज का अनुमान	149	बहुत खराब
सोमवार	125	बहुत खराब
नोएडा		
आज का अनुमान	176	खतरनाक
सोमवार	150	बहुत खराब
गुरुग्राम		
आज का अनुमान	156	बहुत खराब
सोमवार	131	बहुत खराब

0	60	अच्छा
61	90	सामान्य
91	120	खराब
121	160	बहुत खराब
161 से आगे		खतरनाक

नोट : पार्टिकुलेट मैटर (प्रदूषक तत्व पीएम 2.5) माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है। सामान्य स्तर 90 निर्धारित है।

रमजान मुबारक

इफ्तार मंगलवार 07 : 11

सहरी बुधवार 03 : 53

नोट : शिया हजरात इफ्तार 10 मिनट बाद करेंगे और सहरी 10 मिनट पहले खत्म करेंगे।

बदमाश के पिता ने बवाना थाने में दी जान

बेटे के बारे में पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली : हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़ा घोषित बदमाश के पिता ने बवाना थाने की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस उन्हें फरार चल रहे बेटे के बारे में पूछताछ के लिए लाई थी। मृतक की पहचान बलराज (55) के रूप में हुई है। मामले की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर जांच अधिकारी एसआइ गजेंद्र माथुर को लाइनहाजिर व सिपाही प्रवीण को निलंबित कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि थाने में बलराज की पिटाई से मौत हुई है और घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया गया है।

बलराज बाजितपुर गांव में परिवार के साथ रहते थे। वह पहले बवाना औद्योगिक क्षेत्र में चौकीदारी करते थे, लेकिन करीब एक साल से कोई काम नहीं कर रहे थे। उनका छोटा बेटा राहुल गत साल हुए कुख्यात बदमाश मोनू बाजितपुरिया की हत्या के प्रयास के मामले में रोहिणी कोर्ट से भगोड़ा घोषित है। इसी माह 22 मई को बाजितपुर गांव में मोहित नाम के युवक को चार गोलियां मारी गई थीं।। इस मामले में भी राहुल का नाम सामने आया था। ऐसे में बवाना थाना में मामला दर्ज कर पुलिस राहुल की तलाश कर रही थी। पुलिस ने राहुल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रविवार की सुबह 11 बजे बलराज व उनके दामाद मुकेश को थाने लेकर गई थी। शाम करीब साढ़े सात बजे बलराज ने पुलिसकर्मियों से पानी पीने जाने की बात कही। वह थाने की तीसरी मंजिल पर गए और नीचे छलांग लगा दी। अचानक हुए इस हादसे से थाना परिसर में भगदड़ मच गई। आननफानन में बलराज को रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

बलराज की मौत के बाद बवाना थाने के बाहर खड़े परिजन व अन्य लोग

बलराज

> राहुल के पिता बलराज को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुदकशी कर ली। वह पुलिस हिरासत में नहीं थे। घटना की मजिस्ट्रेटी जांच कराई जा रही है।
>
> **गौरव शर्मा,** पुलिस उपायुक्त, उत्तरी बाहरी जिला

वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि थाने में खुदकशी का मामला है। ऐसे में इसकी जांच डीसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। फिलहाल थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है, जिनमें बलराज तीसरी मंजिल से नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। इसके साथ बलराज के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जब्त कर लिया गया है। इस फुटेज में बलराज एक पुलिसकर्मी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

पिता ने फोन पर कहा था, थाने मत आना, पुलिस पीट रही है : सुनील

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: खुदकशी करने से करीब 20 मिनट पूर्व बलराज ने बड़े बेटे सुनील को फोन किया था। सुनील ने बताया कि करीब सात बजकर दस मिनट पर पिता ने फोन पर कहा था कि पुलिस वाले उनकी पिटाई कर रहे हैं और उसे भी खोज रहे हैं। ऐसे में अगर पुलिस वाला बुलाए तो थाने मत आना। पिता को पुलिस पहले दरियापुर चौकी लेकर गई थी, इसके बाद उन्हें बवाना थाने ले जाया गया था।

सुनील ने बताया कि घटना के समय उनकी मां राजरानी भी बवाना थाने के बाहर मौजूद थीं। शाम पांच बजे तक पिता थाने से वापस नहीं आए थे, ऐसे में उनके बारे में पता लगाने वह गई थीं, लेकिन उन्हें थाने के अंदर जाने नहीं दिया गया। गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बताया कि बलराज को कुछ देर में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ देर ही बाद देखा कि पुलिस खून से लथपथ उनके पति को पुलिस वाहन से अस्पताल ले जाकर जा रही है। मां के साथ अन्य परिजन भी वहां मौजूद थे।

सुनील का आरोप है कि उसके पिता खुदकशी नहीं कर सकते हैं, बल्कि पुलिसकर्मियों ने पिटाई के कारण उनकी मौत हुई है। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

नौ दिन पहले की थी बेटी की शादी : वारदात से ठीक नौ दिन पूर्व ही बलराज ने बेटी लक्ष्मी की शादी की थी। पुलिस ने उनके परिवार पर दबाव बनाने के लिए दामाद मुकेश को भी थाने बुलाया था।

गैंगवार से जुड़ा है घटनाक्रम : यह पूरा घटनाक्रम गैंगवार से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि बलराज का बेटा राहुल हितेश उर्फ हैप्पी गैंग से जुड़ा है। हैपी गैंग व मोनू बाजितपुरिया गैंग के बीच 2012 से अदावत चली आ रही है। हैप्पी ने मोनू की नाबालिग चचेरी बहन का अपहरण कर लिया था। बाद में अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ और हैप्पी गिरफ्तार हो गया था। जेल बाहर आते ही उसने मोनू के बहन की हत्या कर दी थी, तभी से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हुई थी। दोनों फिलहाल जेल से गिरोह का संचालन कर रहे हैं। 2018 के दिसंबर में बवाना इलाके में हैप्पी के इशारे पर मोनू पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें राहुल का नाम सामने आया था और इसी में वह भगोड़ा घोषित है। इसके बाद एक फरवरी को होलंबी खुर्द में राहुल के चचेरे भाई विकास की गोली मार हत्या कर दी गई थी तो 22 मई को मोनू के दोस्त मोहित पर जानलेवा हमला हुआ था।

रावता गांव के जोहड़ में डूबे तीन सगे भाई, शव बरामद

हादसा

- सोमवार की दोपहर पशुओं को लेकर जोहड़ गए थे तीनों भाई
- पशुओं को निकालने को घुसे भाइयों को बचाने में गई तीसरे की जान

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : जोहड़ में घुसे पशुओं को निकालने के प्रयास में दो सगे भाई पानी में डूब गए। उन्हें बचाने उतरा तीसरा भाई भी जान गंवा बैठा। पुलिस व दमकल विभाग के कर्मचारियों ने करीब डेढ़ घंटे के तलाशी अभियान के बाद तीनों के शव जोहड़ से निकाल लिए हैं।

पुलिस के मुताबिक जाफरपुरकलां थाना क्षेत्र स्थित रावता गांव निवासी अमन सिंह पशु पालते हैं। सोमवार को स्कूल से आने के बाद उनके बेटे शुभम (16), पीयूष (13) व रुद्राक्ष (11) पशुओं को लेकर श्याम जोहड़ गए थे। इनके साथ कुछ और बच्चे भी थे। बताते हैं कि पशु जोहड़ में काफी अंदर चले गए,पशुओं के नहीं निकलने पर पीयूष व रुद्राक्ष जोहड़ में उतर गए। पानी ज्यादा होने की वजह से दोनों भाई डूबने लगे। यह देख बड़ा भाई शुभम इन्हें बचाने के लिए जोहड़ में कूद गया, लेकिन वह भी डूबने लगा। बच्चों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे गांव वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। इस बीच एक बच्चा पानी के ऊपर आ गया, लेकिन गांव वालों ने जब तक उसे निकाला वह दम तोड़ चुका था। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मियों ने बचे हुए दोनों भाइयों की तलाश कर करीब डेढ़ घंटे में निकाला। इस बीच उनकी भी मौत हो चुकी थी।

अमन के घर में अब मातम: तीन बच्चों की मौत से अमन सिंह के घर में अब चीत्कार और मातम का माहौल है। एक साथ तीन बेटों को खोने से जहां अमन सुध-बुध खो चुका है। वहीं उनकी पत्नी रोते-रोते बेहोश हो जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि एक साथ तीन शव पहुंचने से पूरे गांव में शोक की लहर है। हर कोई अमन के दुख में शरीक होकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमन बस एक ही बात कह रहे हैं, कि मेरा तो सब कुछ ईश्वर ने छीन लिया। भला अब मै सब्र कैसे करूं, यह सुनते ही न सिर्फ सांत्वना देने वाले लोग बल्कि आसपास मौजूद लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे।

'12वीं तक निशुल्क शिक्षा पर करें विचार'

शिक्षा का अधिकार

- हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा
- आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा को लेकर प्राथमिकता से विचार करने को कहा है। कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क शिक्षा आठवीं से बढ़ाकर 12वीं तक किए जाने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यह गंभीर नीतिगत मामला है और इस पर नई सरकार को प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। पीठ ने इस मामले पर आगामी 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई से पहले शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश भी दिए। पिछली तारीख पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संबंध में केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को अनुदान की व्यवस्था करनी होगी, जो कि नई सरकार के गठन के बाद ही संभव है। हालांकि, केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है, तब तक दिल्ली सरकार ऐसे स्कूलों से संपर्क करे, जो कि आठवीं के बाद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दाखिला देने से इन्कार कर रहे हैं। अदालत ने गैर सरकारी संस्थान सोशल जूरिस्ट की तरफ से दायर जनहित याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि निजी स्कूलों में आठवीं कक्षा के बाद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को या तो फीस जमा करने को कहा गया या फिर स्कूल छोड़ने को कहा गया। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मांग की थी कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।

'मदरसे, गुरुकुल में नियमित हो शिक्षा'

जासं, नई दिल्ली : मदरसे और गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा को नियमित करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका को सुनने के लिए 29 मई को मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने सूचीबद्ध किया है। याचिका में मांग की गई है कि पूरे देश में ऐसे शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा को नियमित करने के लिए केंद्र को निर्देश जारी किया जाए। सुनील सराओगी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि देश की राजधानी में ही तीन हजार मदरसे हैं और इनमें साढ़े तीन लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन शिक्षण संस्थानों में अभी भी 18वीं सदी की पढ़ाई कराई जाती है। इससे छात्रों रोजगारपरक शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए इन संस्थानों के लिए एक शिक्षा नीति बने।

अधिकारी निकालेंगे सेंट्रल वर्ज की समस्या का हल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : चांदनी चौक की पुनर्विकास योजना के तहत लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक की सड़क पर बीचोंबीच यानी सेंट्रल वर्ज पर प्रस्तावित निर्माण का विकल्प क्या होगा, यह अब अधिकारियों के दौरे से तय होगा। बुधवार को विभिन्न एजेंसियों और विभागों के अधिकारी यहां दौरा करके समस्या का सर्वसम्मत समाधान ढूंढेंगे।

सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास से जुड़े मसले पर फिर बैठक ली। राजनिवास में हुई बैठक में शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम, यूटीपैक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और बीएसईएस सहित अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 2018 में ही स्वीकृत हो चुकी योजना पर दिसंबर में काम भी शुरू हो गया है। लेकिन दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन और चार विशेषज्ञों की ओर से योजना के कुछ प्रावधानों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाल दिया गया। उपराज्यपाल एक बैठक पहले कर चुके हैं। बैजल ने अधिकारियों को बुधवार तक सुझाव देने का निर्देश दिया है।

एक नजर

अब डीएमसी भी कर सकता है दूध के दाम में बढोतरी

नई दिल्ली : पशुपालन मंत्री तरुण श्रीधर ने कहा कि डेयरी फर्म दिल्ली मिल्क स्कीम (डीएमसी) राजधानी में खुदरा दूध की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले मदर डेयरी और अमूल दूध कीमतों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नंदिनी और सुधा जैसे अन्य सहकारी दूध ब्रांड द्वारा ऐसा करने की अधिक संभावना नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें उन्हें सब्सिडी दे रही हैं। हालांकि, एक समान खुदरा मूल्य तय करने की किसी भी संभावना को उन्होंने खारिज किया है। देश को चालू वर्ष 2019–20 में उत्पादन में सात प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद है। दूध का उत्पादन 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगातार बढ़ रहा है। (जासं)

काठगोदाम शताब्दी के समय में 10 जून से होगा बदलाव

नई दिल्ली : नई दिल्ली –काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस (12040/12039) के समय सारिणी में दस जून से बदलाव किया जा रहा है। नई दिल्ली से यह ट्रेन सुबह छह बजे के बजाय सुबह 06.20 बजे प्रस्थान कर उसी दिन पूर्वाह्न 11.40 बजे काठगोदाम पहुंचेगी। वापसी में काठगोदाम– नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी काठगोदाम से अपराह्न 03.35 बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात्रि 09.10 बजे स्थान पर रात्रि 08.50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। (राब्यू)

हाई कोर्ट के चार नवागत न्यायमूर्तियों ने ली शपथ

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति ने सोमवार को चार न्यायमूर्तियों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में स्वीकृत 60 पदों में से अब 40 न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हो चुकी है। 20 पद अब भी रिक्त हैं। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने न्यायमूर्ति आशा मेनन, न्यायमूर्ति तलवंत सिंह, न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर व न्यायमूर्ति बृजेश सेठी को शपथ दिलाई। आशा मेनन समेत वर्तमान में हाई कोर्ट में आठ महिला न्यायमूर्ति हैं। चार नए न्यायमूर्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद की थी। यह सभी इससे पहले दिल्ली के अलग-अलग सत्र न्यायालयों में थे। नए रोस्टर के तहत अब न्यायमूर्ति बृजेश सेठी मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन के साथ बैठेंगे। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के साथ आशा मेनन, न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ तलवंत सिंह और न्यायमूर्ति विपिन सांघी के साथ न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर बैठेंगे। (जासं)

pdm UNIVERSITY

WORLD CLASS EDUCATION WITH A DIFFERENCE

- 24 Years of Establishment
- Fully Wi-Fi 95 Acre Campus
- Scholarships upto 100%
- Delhi metro connectivity
- 9500+ Placements
- Highly trained faculty
- State of the art Library, Labs & Research facilities

ACADEMIC COLLABORATION WITH • IBM • SAP • MICROSOFT • CISCO • CADD CENTRE

PROGRAMS OFFERED | ADMISSIONS 2019

FACULTY OF AGRICULTURE
- B.Sc (Hons.) Agriculture

FACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCES
- Diploma in Medical Lab. Tech. (DMLT)
- Bachelor of Physiotherapy (BPT)

FACULTY OF ARCHITECTURE
- Bachelor of Architecture (B.Arch)

FACULTY OF COMMERCE & MANAGEMENT
- B.Com (General) • B.Com (Hons.)
- BBA (in association with IBM)
- M.Com • MBA
- BBA with MBA (Integrated)

FACULTY OF DENTAL SCIENCES
- BDS • MDS

FACULTY OF EDUCATION
- Bachelor of Education (B.Ed.)

FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

B.Tech in
- Comp. Sc. (Big Data Analytics)] in association with IBM
- Comp. Sc. (Cloud Computing)]
- Computer Science & Engg.
- Computer Science & IT
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Electronics & Communication Engg.
- B.Tech-Lateral

M.Tech in
- Civil (Structural Engineering)
- Computer Science & Engineering
- Electronics & Communication Engg.
- Mechanical Engg. (Thermal Engg.)
- Mechanical Engg. (Machine Design & Robotics)
- B.Tech-M.Tech (Integrated)
- B.Tech with MBA (Integrated)

FACULTY OF FINE ARTS & DESIGN
- BFA • B.Des

FACULTY OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES

B.A. (Hons.) in
- English • Economics • Psychology
- Journalism & Mass Communication
- Sociology • Political Science
- Geography

M.A. in
- English • Economics • Psychology
- History • Journalism & Mass Comm.
- Political Science • Geography
- Sociology

FACULTY OF LAW
- B.A. LL.B
- B.Com. LL.B
- LL.B

FACULTY OF NURSING
- B.Sc. Nursing

FACULTY OF LIFE SCIENCES

B.Sc (General)
a) Botany, Zoology & Chemistry
b) Biochemistry, Microbiology & Chemistry

B.Sc. (Hons.) in
- Nutrition & Dietetics
- Biochemistry • Microbiology

M.Sc in
- Biochemistry • Microbiology
- Nutrition & Dietetics

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCI.
- D.Pharma • B.Pharma • M.Pharma

FACULTY OF PHYSICAL SCIENCES
- BCA • MCA • MCA - Lateral
- B.Sc (General) in
  a) Physics, Chemistry & Maths
  b) Physics, Maths & Computer Science
- B.Sc (Hons.) in • Physics • Chemistry
  • Maths • Computer Science
  • Statistics • Information Technology

M.Sc in
- Physics • Chemistry • Mathematics
- Computer Science • Information Tech.

PDM POLYTECHNIC (DIPLOMA)
- Automobile Engg. • Civil Engg.
- Computer Engg. • Electrical Engg.
- Electronics & Communication Engg.
- Mechanical Engg.

PDM UNIVERSITY CAMPUS AT SECTOR-3A, SARAI AURANGABAD, BAHADURGARH (DELHI-NCR)

FOR FURTHER ENQUIRY CALL US ON **1800-180-6600** (Toll Free)

Website: www.pdm.ac.in
Email: admissions@pdm.ac.in

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम का सारांश

(ई.पी.एस. से अन्यथा रु. करोड़)

क्र. सं.	विवरण	एकल				समेकित	
		समाप्त तिमाही		समाप्त वित्तीय वर्ष		समाप्त वित्तीय वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	18,763.87	15,430.69	75,126.76	53,825.49	76,234.17	54,694.31
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मद पूर्व)	2,066.26	1,576.71	9,411.15	6,930.68	9,831.19	6,935.76
3	अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मद पश्चात)	1,739.93	1,604.40	9,084.82	6,958.37	9,831.19	6,935.76
4	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मद पश्चात)	1,122.23	1,020.92	6,025.67	4,618.41	6,552.77	4,805.05
5	अवधि हेतु कुल समग्र आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य विस्तृत आय (कर पश्चात) सहित]	1,067.23	509.85	5,855.42	4,281.78	6,430.11	4,484.27
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/– रुपए प्रत्येक)	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.07
7	तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकित रिज़र्व के अलावा रिज़र्व	-	-	36,882.25	32,947.18	38,716.88	34,268.69
8	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक)						
	(क) मूल	4.98	4.53	26.72	20.48	29.03	21.28
	(ख) तनुकृत	4.98	4.53	26.72	20.48	29.03	21.28
	(तिमाही हेतु ईपीएस का वार्षिकीकरण नहीं किया गया)						

टिप्पणियाँ:

1. उपर्युक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता और अन्य विगोपन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन विस्तृत फार्मेट में स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किए गए 31.03.2019 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण फार्मेट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.gailonline.com) पर उपलब्ध है।
2. उपर्युक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के अनुसार है, जिसे उसके अंतर्गत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों और सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए ।
3. निदेशक मंडल ने प्रत्येक रु. 10/- के इक्विटी शेयर के लिए अंतिम लाभांश रु. 1.77 की सिफारिश की है।
4. पिछली अवधि के आंकड़ों को, चालू अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए जहाँ कहीं आवश्यक है, पुनः समूहीकृत किया गया है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2019

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/–
(ए. के. तिवारी)
निदेशक (वित्त)

www.gailonline.com | पंजी. कार्यालय : 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
सीआईएन: L40200DL1984GOI018976 | हमें फॉलो करें